

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 317]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 जून 2018—ज्येष्ठ 31, शक 1940

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 जून 018

क्र. 2-1-स्था-2017-विनिर्वा-121.—मध्यप्रदेश निर्वाचन (अराजपत्रित) सेवा वर्ग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं तकनीकी) भर्ती नियम, 2007 एवं 2012 में संशोधन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है:—

सलीना सिंह, प्रमुख सचिव.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन (अराजपत्रित) सेवा (वर्ग तीन) लिपिक वर्गीय एवं तकनीकी भरती नियम, 2007 एवं 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्—

### संशोधन

उक्त नियमों में—

(1) विद्यमान अनुसूची—एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

“अनुसूची—एक”

(नियम 5 देखिये)

वर्गीकरण, वेतनमान एवं पदों की संख्या तथा सेवा में सम्मिलित पद का नाम

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	तृतीय	9300—34800+3600 ग्रेड वेतन
2	सहायक प्रोग्रामर	2	तृतीय	9300—34800+3600 ग्रेड वेतन
3	सहायक ग्रेड—1	8	तृतीय	9300—34800+3200 ग्रेड वेतन
4	लेखापाल	1	तृतीय	9300—34800+3200 ग्रेड वेतन
5	कनिष्ठ शीघ्रलेखक	1	तृतीय	5200—20200+2800 ग्रेड वेतन
6	मानचित्रकार	1	तृतीय	5200—20200+2400 ग्रेड वेतन
7	सहायक ग्रेड—2	8	तृतीय	5200—20200+2400 ग्रेड वेतन
8	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2	तृतीय	5200—20200+2400 ग्रेड वेतन
9	स्टेनो टायपिस्ट	5	तृतीय	5200—20200+1900 ग्रेडवेतन
10	सहायक ग्रेड—3	10	तृतीय	5200—20200+1900 ग्रेड वेतन
11	वाहन चालक	1	तृतीय	5200—20200+1900 ग्रेड वेतन

विद्यमान अनुसूची-दो के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्-

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	कर्तव्य पद की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता		अभ्युक्ति
विधि (निर्वाचन)			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	
1.	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	—	100 प्रतिशत	—
2.	सहायक प्रोग्रामर	2	100 प्रतिशत	—	—
3.	सहायक ग्रेड-1	8	—	100 प्रतिशत	
4.	लेखापाल	1	—	100 प्रतिशत	लेखा परीक्षा उत्तीर्ण
5.	कनिष्ठ शीघ्रलेखक	1	100 प्रतिशत	—	
6.	मानचित्रकार	1	100 प्रतिशत	—	
7.	सहायक ग्रेड-2	8	—	100 प्रतिशत	
8.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2	100 प्रतिशत	—	
9.	स्टेनो टायपिस्ट	5	100 प्रतिशत	—	
10.	सहायक ग्रेड-3	10	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	
11.	वाहन चालक	1	100 प्रतिशत	—	

विद्यमान अनुसूची -तीन के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्

संशोधन  
"अनुसूची-तीन"  
(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम विधि (निर्वाचन) विभाग	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	अर्हताएं
1.	सहायक प्रोग्रामर	18 वर्ष	25 वर्ष	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम सी ए/एम एस सी(गणित सांख्यिकीय/इलेक्ट्रानिक्स विषय) की स्नातकोत्तर उपाधि के साथ पी जी डी सी ए</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय से बी ई ( इलेक्ट्रानिक्स कम्प्यूटर साईंस) में उपाधि</p> <p>2.राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।</p>
2.	कनिष्ठ शीघ्रलेखक	18 वर्ष	25 वर्ष	<p>1.मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से (10+2) शिक्षा पद्धति के अधीन उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये.</p> <p>2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा प्रमाण पत्र के साथ CPCT Score Card धारित करना अनिवार्य</p> <p>3. मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईंस में एक वर्ष का कम्प्यूटर में डिप्लोमा.</p> <p>4.शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से 100 शब्द प्रति मिनिट से शीघ्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>5. राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।</p>
3.	मानचित्रकार	18 वर्ष	25 वर्ष	<p>मैट्रिक अथवा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के साथ बी वास्तुविद पाठ्यक्रम की दो वर्ष की उपाधि या राष्ट्रीय इंटरमीजिएट या मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान का डिप्लोमा उत्तीर्ण या</p> <p>जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से 1941 के पश्चात पांच वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र के अंतर्गत द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण होने के साथ किसी वास्तुविद कार्यालय में एक वर्ष का अनुभव.</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मानचित्रकारी (सिविल) में डिप्लोमा प्रमाण पत्र के भवन रेखाचित्र का विशेष ज्ञान.</p> <p>2. राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।</p>

4.	सहायक ग्रेड-तीन	18 वर्ष	25 वर्ष	<p>1. कम से कम बारहवीं परीक्षा 10+ 2 पद्धति में या पुरानी प्रणाली के अधीन हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा प्रमाण पत्र के साथ CPCT Score Card धारित करना अनिवार्य</p> <p>3. शासन से मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईंस में एक वर्ष का कम्प्यूटर में डिप्लोमा.</p> <p>4. राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।</p>
5.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	18 वर्ष	25 वर्ष	<p>1. कम से कम बारहवीं परीक्षा 10+ 2 पद्धति में या पुरानी प्रणाली के अधीन हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा प्रमाण पत्र के साथ CPCT Score Card धारित करना अनिवार्य</p> <p>3. शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के अंको सहित स्नातक/किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेशन/प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा/प्रमाण पत्र</p> <p>4. राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।</p>
6.	स्टेनोटाइपिस्ट	18 वर्ष	25 वर्ष	<p>1. कम से कम बारहवीं परीक्षा 10+ 2 पद्धति में या पुरानी प्रणाली के अधीन हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा प्रमाण पत्र के साथ CPCT Score Card धारित करना अनिवार्य</p> <p>3. शासन से मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्ष का कम्प्यूटर में डिप्लोमा.</p> <p>4. शासन के मान्यता प्राप्त संस्था से 80 शब्द प्रति मिनट शीघ्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण ।</p> <p>5. राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।</p>
7.	वाहन चालक	18 वर्ष	25 वर्ष	<p>1. मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था से 10+ 2 से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>2. विधिमान्य वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति होना चाहिये.</p> <p>3. राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।</p>

टीप- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016/3-एक दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीधी भर्ती के पदों हेतु आयु सीमा में अधिकतम छूट निम्नानुसार रहेगी :-

1.

क्रमांक	भर्ती का तरीका	तृतीय/चतुर्थ श्रेणी पदों में छूट
1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	$25 + 15 = 40$
2	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	$25 + 20 = 45$
3	पुरुष/महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	$25 + 20 = 45$
4	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	$25 + 20 = 45$
5	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	$25 + 20 = 45$
6	निःशक्तजन आवेदकों के लिए	$25 + 20 = 45$
प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी।		

2. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिये अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

विद्यमान अनुसूची -चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्-  
 अनुसूची-चार  
 (नियम 14 देखिये)

विभाग का नाम (विधि निर्वाचन)	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
1.	कनिष्ठ शीघ्रलेखक	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	5 वर्ष	अतिरिक्त/संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी -अध्यक्ष उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/लेखाधिकारी -सदस्य आरक्षित वर्ग से एक अधिकारी - सदस्य
2.	सहायक ग्रेड-2	सहायक ग्रेड-1 /लेखापाल (जो लेखा परीक्षा उत्तीर्ण हो)	5 वर्ष	अतिरिक्त/संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी -अध्यक्ष उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/लेखाधिकारी -सदस्य आरक्षित वर्ग से एक अधिकारी - सदस्य
3.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	सहायक ग्रेड-1	5 वर्ष	अतिरिक्त/संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी -अध्यक्ष उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/लेखाधिकारी -सदस्य आरक्षित वर्ग से एक अधिकारी - सदस्य
4.	स्टेनो टायपिस्ट	सहायक ग्रेड-2	5 वर्ष	अतिरिक्त/संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी -अध्यक्ष उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/लेखाधिकारी -सदस्य आरक्षित वर्ग से एक अधिकारी - सदस्य
5.	सहायक ग्रेड-3	सहायक ग्रेड-2	5 वर्ष	अतिरिक्त/संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी -अध्यक्ष उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/लेखाधिकारी -सदस्य आरक्षित वर्ग से एक अधिकारी - सदस्य
6.	भृत्य	सहायक ग्रेड-3	5 वर्ष	अतिरिक्त/संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी -अध्यक्ष उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/लेखाधिकारी -सदस्य आरक्षित वर्ग से एक अधिकारी - सदस्य

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Election (Non Gazetted) Service (Class III) Recruitment rules, 2007 and 2012, namely:-

### AMENDMENT

In the said rules-

(1) For Schedule- 1 the following Schedule shall be substituted, namely-

### SCHEDULE-I

(see rule 5)

S.No.	Name of post included in the Service	Number of Post	Classification	Scale of Pay
1	Senior Stenographer	1	Class-III	9300-34800+3600
2	Assistant Programmer	2	Class-III	9300-34800+3600
3	Assistant Grade-I	8	Class-III	9300-34800+3200
4	Accountant	1	Class-III	9300-34800+3200
5	Junior Stenographer	1	Class-III	5200-20200+2800
6	Draftsmen	1	Class-III	5200-20200-2400
7	Assistant Grade-II	8	Class-III	5200-20200+2400
8	Data Entry Operator	2	Class-III	5200-20200+2400
9	Steno Typist	5	Class-III	5200-20200+1900
10	Assistant Grade-III	10	Class-III	5200-20200+1900
11	Driver	1	Class-III	5200-20200+1900



(2) In "Schedule- II", - the following Schedule II shall be substituted, namely

Schedule II  
(see rule 6)

Name of Department	Name of Post incorporated in service	Total number of duty posts	Percentage of number of duty posts to be filled		Remark
			By direct recruitment	By promotion of members in service	
1	2	3	4	5	
1.	Senior Stenographer	1	-	100%	
2.	Assistant Programmer	2	100%	-	
3.	Assistant Grade-I	8	-	100%	
4.	Accountant	1	-	100%	Accounts Examination passed.
5.	Junior Steno Grapher	1	100%	-	
6.	Draftsmen	1	100%	-	
7.	Assistant Grade-II	8	-	100%	
8.	Data Entry Operator	2	100%	-	
9.	Steno Typist	5	100%	-	
10.	Assistant Grade-III	10	75%	25%	
11.	Driver	1	100%	-	

3) For "Schedule- III", - the following Schedule shall be substituted, namely

**SCHEDULE-III**

(see rule 8)

Name of Department	Name of Posts included in Service	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Qualification
Law (Election) Department				
1.	Assistant Programmer	18 Years	25 Years	PGDCA with Masters degree MCA/Msc (Mathematics, Statistics/Electronics subjects) from a Recognized university or BE(Electronics ComputerScience) degree from a Recognized Engineering College. 2- Live registration in the State's Employment Office is mandatory.
2.	Junior Stenographer	18 Years	25 Years	1- Should have passed Higher Secondary Exam or 12th Std. exam under 10+2 education system of Madhya Pradesh Secondary Education Board or any board recognized by the State Govt. 2- It is mandatory to hold CPCT Score Card along with Computer efficiency certification exam certified by the Department of Science and Technology. 3- One year Diploma in Computer Science from a recognized institution or University.  4- Should have passed Hindi shorthand test with speed of 100 w.p.m. from a recognized institution.  5- Live registration in the State's Employment Office is mandatory.
3.	Draftsmen	18 years	25 Years	Should have passed Metric or Higher Secondary along with 2 year degree Course in B. Architecture Or National Intermediate or Diploma from any institution recognized by Madhya Pradesh Government. or Should have passed Five year Diploma from J.J. School of Arts, Mumbai after 1941,

				<p>Should have passed second year under certificate course along with one year experience from any Architect's office. or Diploma Certificate in Cartography (Civil) from a recognized institution along with Special knowledge in Building diagram..</p> <p>2-- Live registration in the State's Employment Office is mandatory.</p>
4.	Assistant Grade III	18 Years	25 Years	<p>1-Should have passed at least 12th std. exam under 10+2 System or passed Higher Secondary School Exam under the old system.</p> <p>2- It is mandatory to hold CPCT Score Card along with Computer efficiency certificate exam certified by the Department of Science and Technology.</p> <p>3- One year Diploma in Computer Science from recognized institution or University.</p> <p>4- Live registration in the State's Employment Office is mandatory</p>
5.	Data Entry Operator	18 Years	25 Years	<p>1- Should have passed at least 12th Std. exam under 10+2 system or passed Higher Secondary exam under old system</p> <p>2- It is mandatory to hold CPCT Score Card along with Computer efficiency certificate exam certified by the Department of Science and Technology.</p> <p>3- Degree from government recognised university with minimum second class marks/Diploma or Certificate course minimum one year from any recognised institution.</p> <p>4- Live registration in the State's employment office is mandatory</p>
6.	Stenotypist	18 Years	25 Years	<p>1- Should have passed at least 12th Std. exam under 10+2 system or passed Higher Secondary school exam under the old system</p> <p>2- It is mandatory to hold CPCT Score Card along with Computer efficiency certificate exam certified by the</p>

				Department of Science and Technology.  3- One year Diploma in Computers from a Government recognized institution or University.  4- Must have passed Hindi shorthand 80 w.p.m. examination from an institution Recognized by the Government.  5- Live registration in the State's Employment Office is mandatory
7.	Driver	18 Years	25 Years	1-Should have passed High School Exam from recognized 10+2 Government institution. 2- Must have valid driving license. 3- Live registration in the State's Employment Office is mandatory

Note- As per circular number C-3-8/2016/3-one dated 12th May 2017 of Government of Madhya Pradesh, the maximum relaxation in age limit for domiciles of Madhya Pradesh for direct recruitment posts will be as following :-

S.No.	Process of recruitment	Relaxation in III/IV class posts
1	Male Applicant (Unreserved Category)	25 + 15 = 40
2	Female Applicant (Unreserved Category)	25 + 20 = 45
3	Male/Female Applicant (Government/Corporation/Board Employees of Autonomous Institution and Home Guards)	25 + 20 = 45
4	Male/Female Applicant (Reserved category - Sheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes)	25 + 20 = 45
5	Male/Female Applicant (Reserved Category- Government/Corporation/Board/Employees of Autonomous Institution and Home Guards)	25 + 20 = 45
6	For Disabled Applicants	25 + 20 = 45
Applicants from other States will not be given any relaxation in age limit under any condition.		

2- For posts of Class III and IV the candidates must mandatorily have live registration in Employment Office of M.P. State.

4) In place of the existing Schedule- IV, - the following Schedule may be instituted that is-

#### SCHEDULE-IV

Name of Department Law (Election)	Name of service or Post from which Promotion is to be done	Name of Service or post to which promotion is to be done	Experience required for promotion	Name of Members of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Junior Stenographer	Senior Stenographer	5 Years	1-Addl./Joint Chief Electoral Officer - Chairman 2- Deputy Chief Electoral officer/Accounts Officer - Member 3- One Officer from Reserved Category - Member
2.	Assistant Grade-II	Assistant Grade-I/ Accountant (Accounts Examination passed)	5 Years	1-Addl./Joint Chief Electoral Officer - Chairman 2- Deputy Chief Electoral officer/Accounts Officer - Member 3- One Officer from Reserved Category - Member
3.	Data Entry Operator	Assistant Grade-1	5 Years	1-Addl./Joint Chief Electoral Officer - Chairman 2- Deputy Chief Electoral officer/Accounts Officer - Member 3- One Officer from Reserved Category - Member
4.	Steno Typist	Assistant Grade-II	5 Years	1-Addl./Joint Chief Electoral Officer - Chairman 2- Deputy Chief Electoral officer/Accounts Officer - Member 3- One Officer from Reserved Category - Member

5.	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II	5 Years	1-Addl./Joint Chief Electoral Officer - Chairman 2- Deputy Chief Electoral officer/Accounts Officer - Member 3- One Officer from Reserved Category - Member
6.	Poen	Assistant Grade-III	5 Years	1-Addl./Joint Chief Electoral Officer - Chairman 2- Deputy Chief Electoral officer/Accounts Officer - Member 3- One Officer from Reserved Category - Member

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सलीना सिंह, अपर मुख्य सचिव.